	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/11/24	**पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. में व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक...20/12/24. को पेश हो।**	
20/12/24	पत्रावली पेश। वास्ते पेश करने जवाब अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक - 28/02/2025 को पेश हो।	
28/2/25	पत्रावली पेश। अप्रार्थीगण बावजूद तामिली के अनु० हैं। बार² आवाजें दिलवाई गई, अनुपस्थित रहे हैं। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक - 9/5/2025 को पेश हो।	
9/5/25	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 28/05/2025 को पेश हो।	
28/5/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि खसरा संख्या 347, 6157/239 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3031 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। भूमि खसरा संख्या 6158/239 रकबा 0.1619 ग्राम हिण्डोली प्रार्थी भंवरलाल के खाते में दर्ज है। चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण शांतिपूर्वक विवादित भूमि काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन प्रार्थी संख्या 4 ग्राम खटखड़ में रहने, प्रार्थी संख्या 3 ससुराल में रहने व प्रार्थी संख्या 1 व 2 मजदूरी हेतु जयपुर चले जाने से प्रार्थीगण उक्त भूमि को 5 वर्ष अप्रार्थीगण को आधौली पर जुतवाया	

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

P.T.O →

तारीख हुक्म _	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

था व आधौली शर्त अनुसार आधा खाद, बीज व उपज आधी–आधी प्राप्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण रिश्तेदार होने से आधौली पर जुताई कर फसल आधी–आधी प्राप्त कर रहे है, लेकिन गत खरीफ की फसल प्रार्थीगण को नही देने पर अप्रार्थीगण को कहा तो उन्होंने उपज देने से मना कर दिया व प्रार्थीगण ने दिनांक 15.10.2021 को आधौली समाप्त कर भूमि वापस प्रार्थीगण को संभलायी जाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने भूमि वापस संभलाने से मना कर दिया व जमीन पर आने पर मरने मारने की धमकी दी। विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिस पर अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि से अप्रार्थी से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पर तहसीलदार हिण्डोली/थानाधिकारी हिण्डोली को रिसिवर नियुक्त किया जावे यदि रिसिवर नियुक्त किया जाना संभव नहीं हो तो प्रार्थी को केस सिक्युरिटी राशि दिलवाई जावे।

हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 482 में अंकित खसरा नम्बरान 347, 6157/239 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3031 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है व भूमि खसरा संख्या 6158/239 रकबा 0.1619 ग्राम हिण्डोली प्रार्थी भंवरलाल के खाते में दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए है। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किए है जिससे की विवादित भूमि पर दोनों पक्षों लडाई–झगडा होकर शांतिभंग हुई हो, ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को रिसिवर किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– विवादित भूमि खाता संख्या 482 में अंकित खसरा नम्बरान 347, 6157/239 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3031 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है व भूमि खसरा संख्या 6158/239 रकबा 0.1619 ग्राम हिण्डोली प्रार्थी भंवरलाल के खाते में दर्ज होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

P.T.O.→

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :– विवादित भूमि खाता संख्या 482 में अंकित खसरा नम्बरान 347, 6157/239 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3031 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है व भूमि खसरा संख्या 6158/239 रकबा 0.1619 ग्राम हिण्डोली प्रार्थी भंवरलाल के खाते में दर्ज व प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचनों से अपने खाते की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आने व अप्रार्थीगण से केवल आधौली करवाने व प्रार्थीगण के प्रकरण में अंकित चरणों का अप्रार्थीगण द्वारा कोई खण्डन पेश नहीं करने से व अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि पर केवल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में बन रहा है। 3. अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 482 में अंकित खसरा नम्बरान 347, 6157/239 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3031 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है व भूमि खसरा संख्या 6158/239 रकबा 0.1619 ग्राम हिण्डोली प्रार्थी भंवरलाल के खाते में दर्ज होने व अप्रार्थीगण द्वारा आधौली लेकर भूमियॉ वापस प्रार्थीगण को नहीं संभलाने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में बनने एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि भूमि खाता संख्या 482 में अंकित खसरा नम्बरान 347, 6157/239 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3031 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली व भूमि खसरा संख्या 6158/239 रकबा 0.1619 ग्राम हिण्डोली जो कि प्रार्थी भंवरलाल के खाते में दर्ज है पर किसी प्रकार अनाधिकृत कब्जा नहीं करें, प्रार्थीगण को उपज लेने व काश्त करने में कोई दखलदांजी नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	